

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

भू-वापसी अपील वाद संख्या- 17/2021

देवधारी साव बनाम् बैजनाथ मुण्डा वगै०

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख

14-06-2022

इस वाद की कार्यवाही अपीलार्थी देवधारी साव, पिता-स्व० काशी साव, ग्राम-मेन रोड घुटुवा, थाना-पतरातू, ओ०पी०-एन०टी०एस०, जिला रामगढ़ द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर भू-वापसी वाद संख्या 21/2014-15 बैजनाथ मुण्डा वगै० बनाम देवधारी साव में दिनांक 18.02.2021 को पारित आदेश के विरुद्ध U/S -215(5) C.N.T. Act के तहत न्यायालय में अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए द्वितीय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि मौजा घुटुवा, थाना न० 59 थाना पतरातु जिला रामगढ़ के खाता न० 71 प्लॉट न० 1220 रकबा 1.70 ए० मध्ये रकबा 05 डी० भूमि से संबंधित है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं उनके द्वारा समर्पित आवेदन, प्रत्युत्तर, निम्न न्यायालय का आदेश एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मौजा घुटुवा थाना नं०-59 थाना पतरातू के खाता नं०-71 प्लॉट नं०-1220 रकबा-1.70 एकड़ मध्ये रकबा 05 डी० सर्वे खतियान रामनाथ चौकीदार वगै० के नाम से आदिवासी रैयती खाते की भूमि है, कौम मुण्डा दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते भूमि पर दावा करते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि केवाला के आधार पर दावा करते हैं। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा घुटुवा पंजी II में प्रथम एवं

द्वितीय दोनों पक्षों का कोई जमाबंदी कायम नहीं है। वर्तमान में भूमि परती है। प्रथम पक्ष के द्वारा बतलया गया है की निबंधित केवाला के द्वारा उक्त भूमि प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, पतरातू के द्वारा दाखिल खारिज से जमाबंदी कायम हो कर रसीद निर्गत किया जा रहा है। लेकिन प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अर्थात् गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

सरकारी अधिवक्ता ने अपने बहस के दौरान कहा कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश यथावत् रखने की कृपा की जाय।

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन एवं सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि आदिवासी खाते की भूमि है। अंचल अधिकारी, पतरातू ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा घुटूवा पंजी II में प्रथम एवं द्वितीय दोनों पक्षों का कोई जमाबंदी कायम नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किस सक्षम पदाधिकारी के अनुमति से आदिवासी खाते की जमीन गैर आदिवासी में हस्तांतरित हुआ है अर्थात् गलत तरीके से आदिवासी भूमि पर कब्जा किये हुए है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ द्वारा भू-वापसी वाद संख्या 21/2014-15 बैजनाथ मुण्डा वगै० बनाम देवधारी साव में दिनांक 18.02.2021 को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46-4(ए) के तहत पारित आदेश को यथावत् रखा जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्ता, रामगढ़ को वापस करें।

उपरोक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

शाधवी निशा  
14.6.2022  
उपायुक्त,  
रामगढ़।

शाधवी निशा  
14.6.2022  
उपायुक्त,  
रामगढ़।